संख्या- 106 / 2019 / 1029 /चार-2019 - 110 (वि0)/2017

प्रेषक,

जितेन्द्र कुमार
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय,
लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊः दिनांक 07 जून, 2019

विषयः- मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुरूप इमिलिया कोडर जनपद बलरामपुर में या उसके आस-पास थारू जनजाति से सम्बन्धित संस्कृति को संरक्षित रखने हेतु संग्रहालय निर्माण हेतु चयनित भूमि को संस्कृति विभाग के नाम दर्ज कराने हेतु रजिस्ट्री शुल्क आदि की प्रशासनिक/ वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या-64/उ0प्र0सं0नि-5(49)/2017-18-11, दिनांक 25 अप्रैल, 2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुरूप इमिलिया कोडर जनपद बलरामपुर में या उसके आस-पास थारू जनजाति से सम्बन्धित संस्कृति को संरक्षित रखने हेतु संग्रहालय निर्माण हेतु चयनित भूमि संख्या-443 को संस्कृति विभाग के नाम दर्ज कराने हेतु रजिस्ट्री शुल्क आदि हेतु धनराशि रू0 20,060/- (रूपये बीस हजार साठ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल द्वारा सहर्ष प्रदान की जाती है।

3- उक्त धनराशि रू0 20,060/- (रूपये बीस हजार साठ मात्र) चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अन्तर्गत अनुदान संख्या-92 के अधीन लेखाशीर्षक-4202 -शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-04-कला तथा संस्कृति -106- संग्रहालय-10-जनपद बलरामपुर में इमिलिया कोडर व उसके आस-पास थारू जनजाति की संस्कृति के संरक्षण हेतु संग्रहालय-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22 मार्च, 2019 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(जितेन्द्र कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या- 106 / 2019 / 1029 (1)/चार-2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय , उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।
3- आहरण एवं वितरण अधिकारी-सहायक निदेशक, राज्य संग्रहालय, लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/ वित्त (ई-7) अनुभाग
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से ,

(जितेन्द्र कुमार)
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in/